आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

पत्रांक संख्या. 1677/बी.एफ.एच./03/06-07   दिनांक.........9-1-14.........

प्रेषक,

सहायक अभियन्ता (भवन),
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा।

सेवा में,

जितेन्द्र कुमार मंगला
निवासी-29, कमला नगर, आगरा,
आगरा।

विषयः- खसरा संख्या 496 से 505(भाग), 522(भाग), 526(भाग), मौजा-मऊ पर संशोधित के मानचित्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपको सूचित किया जाता है कि उपाध्यक्ष महोदय के आदेश दिनांक 09.01.2014 के अर्न्तगत सन्दर्भित औपचारिकताओं की पूर्ति की दशा में आप द्वार प्रस्तुत ग्रुप हाउस मानचित्र स्वीकृति हेतु विचाराधीन है। अतः आप 15 दिन में निम्न औपचारिकताओं को पूर्ण कराते हुऐ वांछित धनराशि जमा करा दें।

1. ग्रुप हाउसिंग के लिये निरीक्षण शुल्क रू. 1,87,960.00, बाहय् विकास शुल्क रू. 57,37,525.00, एफ.ए.आर. शुल्क रू. 1,82,93,035.00, सिटी डेवलप्मेंन्ट शुल्क रू. 56,10,240.00, शेल्टर फीस शुल्क रू. 31,68,000.00 तथा रेन वाटर(जमानत) शुल्क रू. 10,00,000.00 प्राधिकरण कोष में 15 दिवस के अन्दर एकमुस्त जमा कराना होगा।
2. इन्वायरमेन्टल इम्पैक्ट असेसमेंट (इन्वायरमेन्टल क्लियरेन्स) की एन.ओ.सी 3 माह में प्रस्तुत करनी होगी।
3. लैण्डफिल साइट तथा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हेतु प्राधिकरण द्वारा मांगे जाने पर निर्धारित धनराशि जमा करानी होगी, जिसके लिए शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
4. आवेदक को भवन की छत पर सोलर वाटर हीटिंग संयत्र की स्थापना करनी होगी।
5. आवेदक को भवन सामग्री एवं मलवा अपनी भूखण्ड के अन्दर एकत्रित करना होगा, इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा आवेदक मलवा शुल्क अदा करें।
6. भू-स्वामित्व सम्बन्धी वाद-विवाद उत्पन्न होने की दशा में दी गयी स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी तथा आवेदक को सभी विभागो की एन.ओ.सी. की शर्तों का पालन करने हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एवं आवश्यक वृक्षारोपण का प्राविधान स्थल पर करना होगा।
8. कूडादान हेतु मूवेबिल कन्टेनर की व्यवस्था करानी होगी।

9. वैकल्पिक सौर ऊर्जा संयंत्र का प्राविधान कराना होगा।

10. शासन द्वारा भूकम्प रोधी निर्माण के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत करनें होंगे :-

(अ) पत्र के साथ संल्गन प्रपत्र में आर्कीटेक्ट, इन्जीनियर एवं आवेदक के स्पष्ट हस्ताक्षर, पता, प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे।

(ब) प्रस्तावित भवन का स्ट्रकचरल डिजाइन एवं गणनायें देनी होंगी।

(स) इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि प्रस्तावित निर्माण का पर्यवेक्षण अर्ह इन्जीनियर से प्रस्तुत की गयी डिजाइन/ड्राइंग के अनुरूप करना होगा।

11. मानचित्र निर्गत तथा मौके पर निर्माण समस्त एन.ओ.सी. प्राप्त होने पर किया जायेगा।

12. समस्त धनराशि एकमुस्त जमा करानी होगी।

13. समस्त शर्तो का अनुपालन कराना होगा।

14. बेसमेण्ट की खुदाई से पूर्व विकासकर्ता को जिलाधिकारी कार्यालय से खनन अनुज्ञा प्राप्त करनी आवश्यक है।

15. प्राधिकरण से पूर्णता प्रमाण पत्र करने के उपरान्त ही भवन में की अनुमति दी जायेगी।

16. स्वीकृत पार्किंग स्थल को पार्किंग के अतिरिक्त किसी अन्य उपयोग में नहीं लाया जायेगा अन्यथा दी गयी स्वीकृति निरस्त मानी जायेगी।

17. निर्माण कार्य भवन उपविधि में निर्धारित योग्यता रखने वाले दक्ष अभियन्ता तथा वास्तुविद् की देख रेख में कराया होगा, ताकि भवन की संरचनात्मक सुरक्षा तथा भूकम्परोधी व्यवस्था उनके द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

भवदीय

9/11/19

सहायक अभियन्ता (भवन)